निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 26 **पटना, बुधवार,** **5** आषाढ़ **1946 (श0)**

26 जून **2024 (ई0)**

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-15**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---

	पृष्ठ
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**16-17**
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं
2 मई 2024

सं0 निग/सारा–मुक0–06/2015–1953(s)––एन०आर०ई०पी० सहरसा के पदस्थापन काल में श्री हरि किशोर सिन्हा, सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को दिनांक–14.03.2007 को निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ रू0 2000/– रिश्वत लेते गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजे जाने एवं इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0 35/2007 दर्ज किये जाने के आलोक में इन्हे अधिसूचना सं0–5489 (एस) दिनांक–26.04.2007 के द्वारा दिनांक–14.03.2007 से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12404 (एस) अनु0 दिनांक–26.10.2007 के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. इसी बीच श्री सिन्हा द्वारा दिनांक–14.11.2007 को जमानत पर रिहा होने के पश्चात दिनांक–15.11.2007 को योगदान समर्पित किये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–14578 (एस) दिनांक–14.12.2007 के द्वारा श्री सिन्हा को योगदान की तिथि 15.11.2007 से निलंबनमुक्त किया गया। इसके साथ हीं विभागीय अधिसूचना सं0–14585 (एस) दिनांक–14.12.2007 के द्वारा पुनः तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भता दिये जाने का निर्णय लिया गया।

3. श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–13/सी अनु0 दिनांक–23.01.2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन मे आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–3928 (एस) दिनांक–20.05.2014 द्वारा श्री सिन्हा को तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया।

4. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.-961/15 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–16.04.2018 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7165 (एस) दिनांक–17.09.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक–7465(एस) दिनांक–26.09.2018 (संशोधन) के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

5. माननीय न्यायालय के उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना सं0–7159 (एस) दिनांक–17.09.2018 द्वारा दंडादेश अधिसूचना सं0–3928 (एस) दिनांक–20.05.2014 को वापस लेते हुए श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर नए सिरे जाँच की कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ हीं अधिसूचना सं0–7161 (एस) दिनांक–17.09.2018 के द्वारा श्री सिन्हा को उनके बर्खास्तगी की तिथि 20.05.2014 के प्रभाव से निलंबित समझे जाने तथा बर्खास्तगी की तिथि से सेवानिवृति की तिथि 31.12.2014 तक मात्र जीवन निर्वाह भता अनुमान्य किया गया। तदोपरांत संकल्प ज्ञापांक–8174 (एस) अनु0 दिनांक–26.10.2018 के द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

6. श्री सिन्हा के विरूद्ध नए सिरे से संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या–48/18 में प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग–सह–जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक–65 दिनांक–21.04.2023 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन मे आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य/अनुशंसा से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–2890 (एस) अनु0 दिनांक–25.05.2023 के द्वारा श्री सिन्हा से प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी।

7. उक्त के आलोक में श्री सिन्हा के पत्रांक–शून्य दिनांक–22.06.2023 के द्वारा विभाग को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्य/तर्क अंकित किये गये है :–

(i) श्री सिन्हा के द्वारा अंकित किया गया कि उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम–43(बी०) के अन्तर्गत सम्परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे दिनांक–31.12.2014 को सेवानिवृत्त हो चुके है और गठित घटना दिनांक–14.03.2007 की है, जो विभागीय कार्यवाही शुरू करने की तिथि से लगभग 11 वर्ष 06 माह पूर्व का है, जो किसी भी Prescribed Procedure के अन्तर्गत नहीं आता है। इस संबंध में उनके द्वारा बचाव–बयान दिया गया था, जिस पर जाँच आयुक्त द्वारा विभागीय मंतव्य की मांग की गयी थी, किन्तु विभाग द्वारा मंतव्य नहीं दिया गया।

(ii) यह भी उल्लेख किया गया है कि D.S.P, Vigilance, सहरसा श्री राम नरेश सिंह के द्वारा उनके विरूद्ध झूठा एवं आधारहीन trap case बनाकर उन्हें जबरन arrest किया गया, क्योंकि धावा दल के गठन की चिट्ठी Additional Director of Police, Patna के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, जिसे श्री राम नरेश सिंह, D.S.P. के द्वारा गवाही में स्वीकार भी किया गया है। इस संबंध में जाँच आयुक्त के द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि ट्रैप हेतु सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत आदेश के स्थान पर केश डायरी में अंकित प्रविष्टि को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। श्री सिन्हा का कहना है कि चूंकि धावा दल का गठन ही नहीं हुआ है, जिससे कथित trap झूठा प्रमाणित होता है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी श्री हरि किशोर सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विषयांकित मामले में ही श्री सिन्हा को पूर्व में तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध श्री सिन्हा के द्वारा C.W.J.C No.-961/2015 दायर किया गया है, जिसमें दिनांक–16.04.2018 को पारित न्यायादेश के तहत उक्त दण्डादेश को निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध नये सिरे से विधिसम्मत कार्रवाई किये जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। तदालोक में विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के उपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। श्री सिन्हा द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान कई बार विभाग एवं जाँच आयुक्त के समक्ष इस बात को उठाया गया कि उनके विरूद्ध 43(बी०) के तहत सम्परिवर्तित विभागीय कार्यवाही नियम विरूद्ध है। इस संबंध में विभाग द्वारा आरोपी श्री सिन्हा, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहित जाँच आयुक्त को तत्समय ही विभागीय पत्रांक–6832 दिनांक–11.12.2020 के द्वारा यह सूचित किया गया कि 43(बी०) के तहत सम्परिवर्तित विभागीय कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी है। अतएव आरोपी श्री सिन्हा का कथन विचारण योग्य नहीं है।

9. जहाँ तक कथित ट्रैप के मामले में धावा दल के गठन के संबंध में सक्षम प्राधिकार से पत्र निर्गत नहीं होने का प्रश्न है तो इस संबंध में समीक्षोपरांत पाया गया है कि विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, पटना का पत्रांक–9880 दिनांक–15.09.2022 जाँच आयुक्त को उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार श्री राम नरेश सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, सहरसा प्रक्षेत्र से दिनांक–13.03.2007 को 16:00 बजे दूरभाष पर हुए वार्ता के आलोक में आदेशानुसार एक धावा दल का गठन श्री सिंह के नेतृत्व में किया गया। इससे संबंधित थाना दैनिकी की प्रविष्टि की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया। इससे स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकार के मौखिक निदेश पर धावा दल का गठन किया गया है, जिसकी पुष्टि आरक्षी उप महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के पत्र से भी होती है, क्योंकि कथित थाना काण्ड दर्ज होने के लगभग 01 महीने बाद ही अभियोजन स्वीकृत्यादेश का प्रस्ताव आरक्षी उप महानिरीक्षक के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया था। यदि श्री राम नरेश सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों सहरसा प्रक्षेत्र को धावा दल के गठन के संबंध में मौखिक निदेश नहीं दिया गया होता तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के मुख्यालय के स्तर पर कथित थाना काण्ड में अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई नहीं की गयी होती। इस प्रकार श्री सिन्हा, द्वारा कथित ट्रैप को झूठा बताया जाना तर्क संगत नहीं पाया गया।

10. अतएव उपर्युक्त की गयी समीक्षा के आलोक में आरोपी श्री हरि किशोर सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत ''**पेंशन शून्य**'' किये जाने के दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का निर्णय प्राप्त किया गया।

11. अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–4918 (एस) अनु0 दिनांक–14.08.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक–2728 दिनांक–02.11.2023 द्वारा प्रश्नगत मामले में पूर्व में पत्रांक 2831 दिनांक–25.03.2014 द्वारा दिये गये परामर्श का संदर्भ देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के अधिसूचना सं0–9794 दिनांक–22.07.2019 के कंडिका–7 के आलोक में आयोग का परामर्श आवश्यक नही रहने की स्थिति में विभागीय प्रस्ताव को बिना आयोग के परामर्श के वापस किया गया।

अतएव उपर्युक्त की गयी समीक्षा के आलोक में आरोपी श्री हरि किशोर सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(क) पेंशन शून्य।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पूनम कुमारी, उप सचिव।

---

3 मई 2024

सं0 **निग/सारा–04 (पथ)–मुक०–01/2021**–1980(S)––श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध श्री गणेश पटेल, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष, जद (यू०) मुजफ्फरपुर एवं श्री मुमताज आलम, वरीय नेता जनता दल (यू०) के प्रेषित परिवाद पत्र पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर से तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

2. अधीक्षण अभियंता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत पायी गयी कतिपय अनियमितताओं के संबंध में श्री ब्रज किशोर प्रसाद से विभागीय पत्रांक–5177(s) दिनांक–06.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा पत्रांक–6221(s) दिनांक–14.08.2018 एवं पत्रांक–6598(s) दिनांक–28.08.2018 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जबकि इस हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी इन्हे निदेशित किया गया।

3. श्री प्रसाद के द्वारा वांछित स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में वर्णित दोनों परिवाद पत्रों में उल्लेखित आरोपों यथा पथ मरम्मति तथा कार्यालय भवन एवं सरकारी आवासीय भवन इत्यादि की मरम्मति कार्य के संबंध में वास्तविकता से अधिक का प्राक्कलन तैयार किये जाने, 15 लाख रुपये से नीचे का प्राक्कलन तैयार किये जाने एवं निविदा का निष्पादन प्रचार–प्रसार से न कर टेबुल टेंडर के माध्यम् से निविदा का निष्पादन करते हुए अपने चहेते संवेदकों के नाम कार्य आवंटित कर सरकारी राशि का गबन किये जाने आदि आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7864(एस) अनु०, दिनांक–10.10.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–957 अनु०, दिनांक–11.03.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके तहत आरोप सं०–01 एवं 02 को अप्रमाणित होने एवं आरोप सं०–03 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने का निष्कर्ष अंकित किया गया हैं।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत संचालन प्रतिवेदन से उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के संदर्भ में आरोपी श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक–5722(एस) दिनांक–19.06.2019 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी।

6. श्री प्रसाद द्वारा उनके पत्रांक–258 अनु०, दिनांक–11.07.2019 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये गये बचाव–बयान के लगभग समरूप तथ्य ही अंकित किये गये। साथ ही संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों का भी संदर्भ द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर में किया गया। इस प्रकार श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर के तहत कोई नया तथ्य/साक्ष्य/तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के समर्पित जाँच प्रतिवेदन, संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप संख्या–03 के संबंध में गठित अभिमत एवं आरोपी के द्वारा स्वंय अपने बचाव–बयान के तहत यह तथ्य अंकित किया गया है कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा पी०डब्लू०डी० कार्यालय परिसर के पहुंच पथ, प्रमंडलीय कार्यालय की मरम्मति, कार्यालय भवन के सामने पोर्टिको का निर्माण कार्य, पी०डब्लू०डी० कॉलोनी में वर्ग–3 के कर्मचारियों के आवासीय परिसर की चाहरदिवारी आदि का कार्य प्राक्कलन के पूर्व ही प्रारंभ किया गया था।

8. उक्त अनियमित ढंग से कराये गये कार्य के संबंध में आरोपी श्री प्रसाद के द्वारा न तो वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गयी और न ही तथाकथित असमाजिक तत्वों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की गई, इससे आरोपी के द्वारा अपने चहेते संवेदकों के माध्यम् से टेण्डर से पहले कार्य करा लिए जाने के पश्चात् टेबुल टेण्डर कर मात्र कागजी खानापूर्ति कर लिए जाने की मंशा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जिसके संबंध में आरोपी के द्वारा उनके द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर में काई ठोस साक्ष्य अथवा तर्क नहीं दिया गया। इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध गठित आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

9. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री प्रसाद के द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा के उपरांत असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में इसे अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के कंडिका–14 (viii) के तहत कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम कालमान वेतन में स्थायी रूप से अवनति का दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

10. सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (viii) के तहत एतद् संबंधी अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–8209(s)we दिनांक–09.09.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक–2591, दिनांक–08.01.2020 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध **'कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम कालमान वेतन में स्थायी रूप से अवनति'** करने संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

तद्आलोक में श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर को उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–600(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–601(एस) दिनांक–24.01.2020 के द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) कार्यपालक अभियंता के न्यूनतम कालमान वेतन में स्थायी रूप से अवनति।

11. उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध श्री प्रसाद के द्वारा CWJC No.-7211/2021 ब्रज किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–22.06.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री प्रसाद के द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया, जो विभाग में दिनांक–07.08.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त पुनर्विलोकन अर्जी में मुख्य रूप से श्री प्रसाद के द्वारा निम्न तथ्य अंकित किये गयेः–

(i) परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोपों की जाँच के संबंध में विभाग को उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोप को तथ्यविहीन पाया गया।

(ii) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या–01 एवं 02 को अप्रमाणित पाया गया, लेकिन आरोप संख्या–03 को परिकल्पना के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास किया गया।

(iii) संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iv) उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया।

12. उल्लेखनीय है कि इस संबंध में श्री प्रसाद की पत्नी श्रीमती आशा प्रसाद के आवेदन दिनांक–13.12.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि श्री प्रसाद की मृत्यु दिनांक–02.10.2023 को हो गयी है। उक्त के आलोक में श्रीमती आशा प्रसाद, पत्नी–स्व० ब्रज किशोर प्रसाद को विभागीय पत्रांक–1316(एस) दिनांक–12.03.2024 के द्वारा सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष दिनांक–12.03.2024 को सुनवाई के क्रम में श्रीमती प्रसाद के द्वारा मुख्य रूप से स्व० प्रसाद के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये संसूचित दंडादेश अधिसूचना संख्या–600(एस)– सह–पठित ज्ञापांक–601(एस) दिनांक– 24.01.2020 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

13. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आलोच्य मामले की विस्तृत समीक्षा की गयी। उक्त में पाया गया कि स्व० ब्रज किशोर प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु पूर्व में समर्पित बचाव बयान/तथ्यों को ही नये सिरे से दोहराया गया। साथ ही स्व० प्रसाद की पत्नी श्रीमती आशा प्रसाद के द्वारा भी कोई ठोस तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर स्व० प्रसाद के विरूद्ध संसूचित दंडादेश को क्षान्त किया जा सके।

14. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त स्व० ब्रज किशोर प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के द्वारा अपने जीवनकाल में समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में अंकित तथ्यों एवं उनकी पत्नी श्रीमती आशा प्रसाद को सुनने के पश्चात् संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उक्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

15. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

---

16 मई 2024

सं0 **निग/सारा (एन०एच०) आरोप–42/2017–2313(s)**––श्री देवेन्द्र प्रसाद चौरसिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 45.00 से 65.00 पथांश में (Job No.-101-BR-2016-17-1547) कराये गये BC कार्य एवं कि०मी० 1.10 से 1.11 में ROB के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता एवं विलम्ब के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–416 (एस) अनु० दिनांक–19.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जो इनके सेवानिवृति **दिनांक**–28.02.2021 को सेवानिवृति के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3399(एस) दिनांक–19.07.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी०) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया है। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र के तहत् कुल 02 (दो) आरोप निम्नवत गठित किये गये है :–

(i) राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 45.00 से 65.00 पथांश में Job No.- 101-BR-2016-17-1547 के तहत् स्वीकृत PR कार्य जून 2017 में पूर्ण कराया गया हैं, परन्तु इस पथांश में कराया गया BC कार्य जून 2017 में ही अधिकांश भागों में क्षतिग्रस्त हो गया। BC का कार्य तुरन्त उखड़ जाना काफी खराब गुणवत्ता का साक्ष्य है। Centre Line Marking का कार्य भी विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराया गया।

(ii) राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 1.10 से 1.11 पथांश में स्वीकृत RoB के निर्माण कार्य का एकरारनामा दिनांक–25.05.2017 को कर लिया गया, परन्तु जमीन के अभाव में निरीक्षण की तिथि दिनांक–19.09.2017 तक Appointed Date नहीं दिया गया, जिसके कारण कार्य अत्यधिक Delayed हुआ, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं जिम्मेदारी के बोध की कमी है।

2. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)–सह–संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–33 अनु० दिनांक–04.04.2022 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत् इनके विरूद्ध गठित उक्त दोनों आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षा के उपरान्त आरोप संख्या–(ii) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष सहमति योग्य पाया गया एवं आरोप संख्या–(i) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष असहमति योग्य पाया गया।

3. आरोप संख्या–(i) के संबंध में संचालन पदाधिकारी के द्वारा इस आधार पर अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया कि अगस्त, 2017 में गोपालगंज जिला अन्तर्गत भीषण बाढ़ आ जाने के कारण गंढ़की बांध टूट गया था, जिसके फलस्वरूप आलोच्य पथांश के ऊपर बाढ़ का पानी over top कर गया। फलतः परिस्थितिजन्य एवं आपदाजनित स्थिति में BC कार्य क्षतिग्रस्त हो गया था। विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के निरीक्षण

प्रतिवेदन दिनांक–19.09.2017 के कंडिका–05 में स्पष्ट उल्लेख है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक–08.06.2017 एवं 12.07.2017 के निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से आलोच्य पथांश को विशिष्टियों के अनुरूप ठीक कराने का निदेश दिया गया। उनके आदेश के अनुरूप कि०मी० 45.00 से 55.00 के बीच–बीच कुछ सुधार करते हुए Potless कराया गया, परन्तु निरीक्षण की तिथि तक कि०मी० 55.00 से 65.00 के बीच कई पॉट्स पाये गये है। स्पष्ट होता है कि जून, 2017 में सम्पन्न BC कार्य जून, 2017 में ही अधिकांश भागों में क्षतिग्रस्त हो गया। इस प्रकार उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में श्री चौरसिया से विभागीय पत्रांक–5394(एस) अनु० दिनांक–26.10.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. तदआलोक में श्री चौरसिया के पत्रांक–शून्य दिनांक–15.11.2022 के द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा के क्रम में पाया गया की इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत् Bihar CCA Rules, 2005 के नियम–18(2) का संदर्भ देते हुए अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–18.06.2017 एवं दिनांक–12.07.2017, जिसके आधार पर असहमति का बिन्दु सृजित किया गया है, कि प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

उक्त के आलोक में श्री चौरसिया को विभागीय पत्रांक–907 (एस) अनु० दिनांक–20.02.2023 द्वारा अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर का निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए पुनः उत्तर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

5. श्री देवेन्द्र प्रसाद चौरसिया, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–06.04.2023 द्वारा विभाग को द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत् मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–08.06.2017 एवं 12.07.2017 में BC कार्य के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में अधीक्षण अभियंता के द्वारा यथोचित कारणों का भी उल्लेख किया गया है। अधीक्षण अभियंता के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि आलोच्य पथ के विभिन्न पथांशों में जल जमाव होने के कारण ही BC कार्य क्षतिग्रस्त हो गया। अधीक्षण अभियंता के द्वारा जून एवं जुलाई माह में पथ का निरीक्षण किया गया था, जो विशुद्ध रूप से मानसून का महीना होता है और इस माह मे अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण पथ के विभिन्न पथांश में जल जमाव की स्थिति हो गयी और BC परत कहीं–कहीं क्षतिग्रस्त हो गया। इनका कहना है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी आलोच्य पथ के बाढ़ से प्रभावित होने अथवा पथ में जल जमाव होने को दृष्टिगत रखते हुए ही परिस्थितिजन्य एवं आपदा जनित स्थिति में BC कार्य के क्षतिग्रस्त होने का निष्कर्ष दिया गया है, ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने का तर्क सही नहीं है। श्री चौरसिया द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि बाढ़ के कारण अथवा जल जमाव के कारण उभर आये प्रकृतिजनित पॉट्स को बाढ़ के समाप्ति के पश्चात तत्समय ही संवेदक के व्यय पर उसे ठीक करवा दिया गया था।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद चौरसिया, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोप संख्या–(i) के संबंध में उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में श्री चौरसिया द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत् BC कार्य के क्षतिग्रस्त होने के लिए पथ परत पर बरसात के पानी का जमाव होना एवं स्थानीय लोगों द्वारा चापाकल का पानी पथ परत पर गिराने का कारण बताया गया है, जिसे अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण के बाद संवेदक के व्यय पर ठीक करा दिया गया। इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव–बयान से ही इस बात की पुष्टि होती है कि बाढ़ अगस्त, 2017 में आया था, जबकि इससे पूर्व ही अधीक्षण अभियंता के द्वारा जून–जुलाई माह में पथ के निरीक्षण के समय ही BC कार्य में काफी पॉट्स पाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि जून माह में कराये गये BC कार्य जून माह में ही क्षतिग्रस्त हो गया। हालाँकि कालांतर में क्षतिग्रस्त पथांश को संवेदक के व्यय पर ठीक कराया गया है, परन्तु इससे आरोप की गंभीरता को कम करके आंका नहीं जा सकता है। इस प्रकार विभाग द्वारा इनके विरूद्ध गठित किये गये आरोप इस हद तक प्रमाणित होता है।

7. तद्नुसार आलोच्य मामले की सम्यक विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद चौरसिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता एवं चूक बरती गयी है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः इनके द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी०) के तहत इनके पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती 02 (दो) वर्षों तक किये जाने संबंधी दंड प्रस्ताव पर लिए गए विभागीय निर्णय पर विभागीय पत्रांक–5399(एस) अनु० दिनांक–08.09.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4698 दिनांक–19.02.2024 द्वारा निर्णित विभागीय दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी है।

8. उपर्युक्त के आलोक में श्री देवेन्द्र प्रसाद चौरसिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, के लिखित अभिकथन के रूप में समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत उनके विहित समानुपातिक दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार के निर्णयानुसार बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी०) के तहत् **"इनके पेंशन से 05(पाँच) प्रतिशत राशि का 02 (दो) वर्षों तक कटौती"** का दण्ड संसूचित किया जाता है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार राय, विशेष सचिव।

16 मई 2024

सं0 निग/सारा (एन०एच०) आरोप–42/2017–2315(S)––श्री रेयाजुल हक अंसारी, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 45.00 से 65.00 पथांश में (Job No.-101-BR-2016-17-1547) कराये गये BC कार्य एवं कि०मी० 1.10 से 1.11 में ROB के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता एवं विलम्ब के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–417 (एस) अनु० दिनांक–19.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जो इनके सेवानिवृति दिनांक–31.01.2023 को सेवानिवृति के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2105(एस) दिनांक–12.04.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी०) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया है। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र के तहत् कुल 02 (दो) आरोप निम्नवत गठित किये गये है :–

(i) राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 45.00 से 65.00 पथांश में Job No.- 101-BR-2016-17-1547 के तहत् स्वीकृत PR कार्य जून 2017 में पूर्ण कराया गया हैं, परन्तु इस पथांश में कराया गया BC कार्य जून 2017 में ही अधिकांश भागों में क्षतिग्रस्त हो गया। BC का कार्य तुरन्त उखड़ जाना काफी खराब गुणवत्ता का साक्ष्य है। Centre Line Marking का कार्य भी विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराया गया।

(ii) राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 1.10 से 1.11 पथांश में स्वीकृत RoB के निर्माण कार्य का एकरारनामा दिनांक–25.05.2017 को कर लिया गया, परन्तु जमीन के अभाव में निरीक्षण की तिथि दिनांक–19.09.2017 तक Appointed Date नहीं दिया गया, जिसके कारण कार्य अत्यधिक Delayed हुआ, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं जिम्मेदारी के बोध की कमी है।

2. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)–सह–संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–34 अनु० दिनांक–04.04.2022 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत् इनके विरूद्ध गठित उक्त दोनों आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षा के उपरान्त आरोप संख्या–(ii) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष सहमति योग्य पाया गया एवं आरोप संख्या–(i) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष असहमति योग्य पाया गया।

3. आरोप संख्या–(i) के संबंध में संचालन पदाधिकारी के द्वारा इस आधार पर अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया कि अगस्त, 2017 में गोपालगंज जिला अन्तर्गत भीषण बाढ़ आ जाने के कारण गंढ़की बांध टूट गया था, जिसके फलस्वरूप आलोच्य पथांश के ऊपर बाढ़ का पानी over top कर गया। फलतः परिस्थितिजन्य एवं आपदाजनित स्थिति में BC कार्य क्षतिग्रस्त हो गया था। विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–19.09.2017 के कंडिका–05 में स्पष्ट उल्लेख है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक–08.06.2017 एवं 12.07.2017 के निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से आलोच्य पथांश को विशिष्टियों के अनुरूप ठीक कराने का निदेश दिया गया। उनके आदेश के अनुरूप कि०मी० 45.00 से 55.00 के बीच–बीच कुछ सुधार करते हुए Potless कराया गया, परन्तु निरीक्षण की तिथि तक कि०मी० 55.00 से 65.00 के बीच कई पॉट्स पाये गये है। स्पष्ट होता है कि जून, 2017 में सम्पन्न BC कार्य जून, 2017 में ही अधिकांश भागों में क्षतिग्रस्त हो गया। इस प्रकार उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में श्री अंसारी से विभागीय पत्रांक–5391(एस) अनु० दिनांक–26.10.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. तदालोक में श्री अंसारी के पत्रांक–शून्य दिनांक–01.12.2022 से अपना द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा के क्रम में पाया गया की इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत् Bihar CCA Rules, 2005 के नियम–18(2) का संदर्भ देते हुए अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–18.06.2017 एवं दिनांक–12.07.2017, जिसके आधार पर असहमति का बिन्दु सृजित किया गया है, कि प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

उक्त के आलोक में श्री अंसारी को विभागीय पत्रांक–906 (एस) अनु० दिनांक–20.02.2023 द्वारा अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर का निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए पुनः उत्तर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

5. श्री रेयाजुल हक अंसारी, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–02.03.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के तहत् मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य/तर्क अंकित किये गये है :–

(i) अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा निरीक्षण की तिथि दिनांक–08.06.2017 तक आलोच्य कार्य प्रगतिशील थी एवं दिनांक–12.07.2017 को बरसात जारी थी। अधीक्षण अभियंता के उक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंकित है कि "इस पथांश के कई जगहों पर सड़क के किनारे स्थानीय लोगों द्वारा चापाकल का पानी सीधे बहाया जा रहा है एवं Crust से सटे भाग में पानी एकत्रित करने हेतु गड्ढ़ा बना दिया गया है, जिससे पथ Crust फेल हो गया है।" निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–12.07.2017 में कि०मी० 56.00 से 65.00 पथांश में जहाँ–तहाँ BC फेल हुआ पाया गया अंकित करते हुए इसे गुणवत्ता में कमी एवं समुचित पर्यवेक्षण का अभाव की मात्र संभावना व्यक्त किया गया है। उक्त निरीक्षण के दौरान किसी भी कार्यमद की Specific जाँच नहीं कराई गई थी, जबकि कार्य, स्थानीय गुण नियंत्रण अवर प्रमण्डल द्वारा निर्माण सामग्रियों का गुणवत्ता जाँच अनुकूल पाये जाने के उपरान्त मेरे गहन पर्यवेक्षण एवं वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में तकनीकी विशिष्टि के अनुरूप संवेदक के माध्यम से सम्पादित कराया गया था।

(ii) वर्ष, 2017 में प्री मॉनसून की लगातार भारी बारिश होने तथा स्थानीय लोगों द्वारा चापाकल का पानी पथ परत पर गिराने, पथ परत के सटे गड्ढ़ा खोदकर पानी जमा करने इत्यादि के कारण दो–चार जगहों पर Pots उभर आये थे, जिसे DLP के तहत् संवेदक के व्यय पर तत्समय ठीक कराया गया था। इनके साक्ष्य आधारित इस तथ्य को संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।

(iii) अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि प्री मानसून के भारी वर्षा के कारण घनी बसावट वाले गाँवों तथा बाजारों में वर्षा का पानी पथ क्रस्ट तथा फ्लैंक पर जमा हो जाने के कारण दो चार जगहों पर पॉट्स हो गये थे, जिसका एक मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा अपने घर का नाला का पानी सीधे सड़क पर लाकर छोड़ दिया जाना था। अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा निरीक्षण के दौरान दिए गए निदेश के अनुपालन में उक्त दो–चार पॉट्स (BC सतह फेल) का विशिष्टि के अनुसार संवेदक के व्यय पर ठीक करा दिया गया था।

(iv) आलोच्य कार्य SBD एकरारनामा के तहत् संपादित किया गया था तथा DLP से आच्छादित था। Centre Line Marking से संबंधित विपत्र न तो मेरे द्वारा तैयार किया गया था और न ही उसका संवेदक को भुगतान हुआ है।

(v) कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान पथों का निरीक्षण विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर की जाती है तथा अनुकूल गुणवत्ता के बावजूद परिस्थितिजन्य Defect पाये जाने पर उसका सुधार करने हेतु निदेश प्राप्त होता हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु ही Defect Liability Period (DLP) का प्रावधान है।

(vi) उड़नदस्ता प्रमण्डल संख्या–4 द्वारा आलोच्य पथांश से संग्रहित नमूनों की जाँच (thickness एवं Bitumen की मात्रा) के सभी जाँचफल निर्धारित tolerance limit के अनुरूप पाये गये अर्थात कार्य तकनीकी रूप से विशिष्टि के अनुरूप कराया गया था। अतएव तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान परिलक्षित त्रुटियाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण आपदाजनित एवं परिस्थितिजन्य है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रेयाजुल हक अंसारी, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया की आरोप संख्या–(i) के संबंध में उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में श्री अंसारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत् BC कार्य के क्षतिग्रस्त होने के लिए पथ परत पर बरसात के पानी का जमाव होना एवं स्थानीय लोगों द्वारा चापाकल का पानी पथ परत पर गिराने का कारण बताया गया है, जिसे अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण के बाद संवेदक के व्यय पर ठीक करा दिया गया। इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव–बयान से ही इस बात की पुष्टि होती है कि बाढ़ अगस्त, 2017 में आया था, जबकि इससे पूर्व ही अधीक्षण अभियंता के द्वारा जून–जुलाई माह में पथ के निरीक्षण के समय ही BC कार्य में काफी पॉट्स पाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि जून माह में कराये गये BC कार्य जून माह में ही क्षतिग्रस्त हो गया। हालाँकि कालांतर में क्षतिग्रस्त पथांश को संवेदक के व्यय पर ठीक कराया गया है, परन्तु इससे आरोप की गंभीरता को कम करके आंका नहीं जा सकता है। इस प्रकार विभाग द्वारा इनके विरूद्ध गठित किये गये आरोप इस हद तक प्रमाणित होता है।

7. तद्नुसार आलोच्य मामले की सम्यक विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया है कि **श्री रेयाजुल हक अंसारी, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता** द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता एवं चूक बरती गयी है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः इनके द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी०) के तहत इनके पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती 02 (दो) वर्षों तक किये जाने के दंड अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा लिया गया। उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–5400(एस) अनु० दिनांक–08.09.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–3602 दिनांक–22.12.2023 द्वारा परामर्श दिया गया कि "आरोपी पदाधिकारी के द्वारा आदतन समान प्रकृति की गलतियों की पुनरावृति करने के आलोक में आरोप की गंभीरता को देखते हुए दण्ड कम होने के कारण समानुपातिक नहीं है।"

उक्त के आलोक में पुनः विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपी पदाधिकारी के पेंशन से 10(दस) प्रतिशत की कटौती 02 (दो) वर्षों के लिए दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

8. उपर्युक्त के आलोक में **श्री रेयाजुल हक अंसारी, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता**, के लिखित अभिकथन के रूप में समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत उनके विहित समानुपातिक दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार के निर्णयानुसार उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी०) के तहत् "**इनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि का 02 (दो) वर्षों तक कटौती**" का दण्ड संसूचित किया जाता है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार राय, विशेष सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं
14 जून 2024

सं0 ग्रा0वि0-R-503/7/2023-Section-14 RDD-RDD–2906639––श्री संजय कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोरवा-सह-रिवाईजिंग अथॉरिटी नगर पंचायत, सरायरंजन द्वारा पंचायत, सरायरंजन चुनाव की मतगणना कार्य दिनांक- 20.12.2022 को मतगणना स्थल पर ससमय उपस्थित नहीं होने एवं फलत: अपने पदीय कर्त्तव्य एवं दायित्वों का उल्लंघन करते हुए मतगणना कार्य को प्रभावित करने के प्रयास के आरोपों पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका-सह-जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-2036/निर्वा0, दिनांक-22.12.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सिन्हा के पत्रांक- 2131 दिनांक- 25.10.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 2376815 दिनांक- 14.12.2023 द्वारा इन्हें "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने" का दंड अधिरोपित किया गया ।

उक्त शास्ति के विरूद्ध श्री सिन्हा के ज्ञापांक- 2458 दिनांक 19.12.23 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है । उक्त अभ्यावेदन में श्री सिन्हा द्वारा अंकित किया गया है कि मतगणना स्थल आने के क्रम में अचानक सरकारी गाड़ी खराब हो जाने के कारण निजी गाड़ी की व्यवस्था कर निर्धारित मतगणना स्थल पर पहुँचा जिसके कारण कुछ विलम्ब हो गया । उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक- 1472/निर्वा0 दिनांक- 27.11.2023 द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत विभाग से उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' की कार्रवाई से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है ।

विभाग द्वारा श्री सिन्हा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक- 1472 दिनांक- 27.11.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत इसे संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री सिन्हा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक- 1472 दिनांक- 27.11.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भानु प्रकाश, अपर सचिव।

14 जून 2024

सं0 H-368/2/2023-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-250331)–2906708––श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर (पटना) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी (सहरसा) के विरूद्ध ए०एन० कॉलेज, पटना में परीक्षार्थी श्री सौरभ आनंद को कदाचार कराने एवं श्री कृष्णापुरी थाना कांड संख्या-241/18 दिनांक-09.09.2018 में अनुशासनिक कार्रवाई करने के आरोप पर आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-485 दिनांक-13.09.2018 एवं उप विकास आयुक्त, पटना के पत्रांक-733 दिनांक-19.04.2023 द्वारा आरोप प्रतिवेदित है ।

उक्त प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, पटना से विभागीय पत्रांक-2064959 दिनांक-11.09.2023 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र में आरोप पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-180 दिनांक-25.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री सुशील कुमार से जिला स्तर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कृष्णापुरी थाना कांड संख्या-241/18 दिनांक-09.09.2018 में प्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर, पटना की संलिप्तता एवं अपराधिक मामले का साक्ष्य नहीं है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर (पटना) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी (सहरसा) को भविष्य में सचेष्ट रहकर कार्य करने का निदेश देते हुये मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भानु प्रकाश, अपर सचिव।

---

14 जून 2024

सं0 ग्रा0वि0-ग्रा0वि0-14(सा0)सा0-04/2021–2907319––श्रीमती अर्चना, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौतन, सिवान के विरूद्ध पदसोपानीय व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए प्रखंड विकास कार्यालय, रिविलगंज, सारण (छपरा) के पत्रांक- 505 दिनांक- 29.06.2021 से श्रीमती उषा कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) का बिना अनुमोदन प्राप्त किये कार्रवाई हेतु सीधे विभाग को उपलब्ध कराने का आरोपों पर उनसे जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) द्वारा कारण पृच्छा/स्पष्टीकरण की गई।

श्रीमती अर्चना द्वारा तत्संबंध में पत्रांक- 613 दिनांक- 14.09.2023 से जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) को उत्तर प्रतिवेदन/ स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक- 1269 दिनांक- 14.10.2023 द्वारा समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन में श्रीमती अर्चना के स्पष्टीकरण को 'स्वीकार योग्य नहीं' प्रतिवेदित करते हुए इनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है ।

विभाग द्वारा श्रीमती अर्चना के विरूद्ध आरोप, स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई ।

समीक्षोपरांत श्रीमती अर्चना द्वारा बरती गई सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्ध कृत्य के लिए 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्रीमती अर्चना, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौतन, सिवान के विरूद्ध 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्रीमती अर्चना की चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भानु प्रकाश, अपर सचिव।

———

15 जून 2024

सं0 ग्रा0वि0- R-503/8/2023-SECTION-14 RDD-RDD –2910506——श्री धर्मवीर कुमार प्रभाकर, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर (समस्तीपुर) सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर, बेगुसराय के विरूद्ध नगर निगम, समस्तीपुर के वार्ड सं0-10 के रिवाईजिंग ऑथरिटी वार्ड सं0-10 के मतदाता सूची के विखंडीकरण के समय 727 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किये जाने के आरोपों पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-1858/निर्वा0 दिनांक-11.12.2022 के द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

आरोप पत्र में गठित आरोप एवं श्री प्रभाकर से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-2385324 दिनांक-18.12.2023 द्वारा श्री धर्मवीर कुमार प्रभाकर, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर (समस्तीपुर) सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर, बेगुसराय को "निन्दन (आरोप वर्ष-2022-2023)" का दंड अधिरोपित किया गया ।

अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री प्रभाकर द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन दिनांक- 24.01.2024 समर्पित किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन की समीक्षा की गयी । श्री प्रभाकर के पुनर्विलोकन आवेदन की समीक्षा के क्रम में कोई ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य या तथ्य नहीं है जिसके आलोक में पूर्व में पारित आदेश को संशोधित किया जाय ।

अतएव समीक्षोपरांत श्री धर्मवीर कुमार प्रभाकर के पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भानु प्रकाश, अपर सचिव।

———

20 जून 2024

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0) वैशाली-42/2017–2920764——श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक- 04.09.2017 को परिवादी श्री सोनू पासवान से 30,000/- (तीस हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में कारानिरूद्ध किया गया तथा निगरानी थाना कांड संख्या- 070/2017 दिनांक- 04.09.2017, धारा-7/8/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)डी0, भ्र0नि0अधि0,1988 दर्ज किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक-340283 दिनांक-30.11.2017 द्वारा उन्हें कारानिरूद्ध किये जाने की तिथि 04.09.2017 के प्रभाव से निलम्बित किया गया।

विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक- एस0पी0 (नि0)-19/2017 245/जे0 दिनांक- 19.12.2017 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री कुमार द्वारा कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक- 07.11.2017 को विभाग में योगदान दिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 340283 दिनांक- 30.11.2017 द्वारा श्री कुमार को निलम्बन से मुक्त करते हुए दिनांक- 07.11.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया। साथ ही, विभागीय अधिसूचना

संख्या-340284 दिनांक-30.11.2017 द्वारा श्री कुमार को दिनांक- 07.11.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए पुनः निलम्बित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर विभागीय ज्ञापांक 428602 दिनांक- 18.06.2019 द्वारा श्री कुमार से बचाव के लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त संदर्भ में श्री कुमार के अभ्यावेदन दिनांक- 16.08.2019 पर सम्यक विचारोपरान्त उनके विरूद्ध ट्रैप केस मामले में निगरानी थाना काण्ड दर्ज होने एवं प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-449414 दिनांक-03.12.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । उक्त विभागीय कार्यवाही में मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता, वैशाली को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया ।

श्री कुमार के लंबी अवधि से निलंबित रहने एवं विभागीय कार्यवाही के निर्णय में विलम्ब की संभावना को देखते हुए श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 318436 दिनांक-17.11.2020 द्वारा इन्हें विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए इस शर्त के साथ निलंबन से मुक्त किया गया कि विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कांड के अनुसंधान तथा न्यायालय के आदेश का फलाफल श्री कुमार पर प्रभावी होगा ।

सचिव-सह-जाँच आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-62/गो0 दिनांक-30.02.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध धारित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार की सहमति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के तहत विभागीय पत्रांक-2067675 दिनांक-11.09.2023 द्वारा आरोपित पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन में प्रति उपलब्ध कराते हुए उन्हें लिखित अभ्यावेदन में समर्पित करने का अवसर प्रदान किया गया है ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित आवेदन पर विचारोपरांत विभागीय पत्रांक-2179081 दिनांक-13.10.2023 द्वारा इन्हें लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु दिनांक- 30.10.2023 तक का समय दिया गया । श्री कुमार से पुनः प्राप्त आवेदन दिनांक-03.11.2023 पर विचारोपरांत इन्हें लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु अंतिम अवसर के रूप में पुनः एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया । श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन दिनांक-08.12.2023 में लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने के पूर्व कतिपय अभिलेख/ कागजात की माँग एवं आपत्तियों का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

उल्लेखनीय है कि इन्हें बचाव के लिखित अभिकथन की माँग करते समय आरोप पत्र के साथ उल्लेखित साक्ष्य एवं विभागीय कार्यवाही के दौरान देय अभिलेख/कागजात उपलब्ध कराया जा चुका है । अब जब संचालन पदाधिकारी से उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है तब आरोपित पदाधिकारी द्वारा कागजात/ अभिलेख की माँग करना युक्तिसंगत नहीं है । उनके अनुरोध पर लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु दो बार तिथि विस्तारित की जा चुकी है ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन दिनांक-08.12.2023 के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा कोई नया तथ्य/ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने एवं इन्दिरा आवास योजना के द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त करने में लापरवाही बरतने, प्रशासनिक पद पर रहते हुए पद का दुरूपयोग करने के गंभीर कदाचार व भ्रष्ट आचरण के कदाचारपूर्ण कृत्य के प्रमाणित गंभीरतम आरोपों के लिए 'संचयात्मक प्रभाव से चार वेतन वृद्धि के रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन संबंधित वाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश आरोपित पदाधिकारी पर प्रभावी होगा ।

आदेश दिया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार की चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि कुमार, उप सचिव।

---

19 जून 2024

सं0 ग्रा0वि0-R-503/84/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM-179949)—2916838——श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती (कैमूर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवसागर (रोहतास) के विरूद्ध पंचायत समिति के स्तर से 15वें वित्त आयोग मद से क्रियान्वित योजनाओं में बरती गयी अनियमितता के आलोक में जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-440 दिनांक-20.05.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ । उक्त आरोप पर कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-1302 दिनांक-30.08.2022 द्वारा श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त है ।

जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री अशोक कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण वृहत जांच हेतु संकल्प संख्या-1499390 दिनांक- 11.01.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 2425981 दिनांक- 01.01.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है । प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर श्री अशोक कुमार से विभागीय पत्रांक- 2450202 दिनांक- 08.01.2024 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी । कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवसागर (रोहतास) के पत्रांक- 108 दिनांक- 31.01.2024 द्वारा श्री कुमार का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त है ।

संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री अशोक कुमार का कृत्य आदतन है । इनके विरूद्ध विभाग स्तर से अधिरोपित दंड के बावजूद इनके कार्य में कोई सुधार होता नहीं प्रतीत होता है ।

अतएव समयक विचारोपरांत श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती (कैमूर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवसागर (रोहतास) के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री अशोक कुमार की चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भानु प्रकाश, अपर सचिव।

---

24 जून 2024

सं0 R-503/92/2022-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-182988)—2930221——श्रीमती चन्दा कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार (भोजपुर) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा (पटना) के विरूद्ध प्रखंड शिक्षक नियोजन-2019-20 में रोस्टर से ज्यादा नियुक्ति किए जाने एवं रोस्टर में छेड़-छाड़ के आरोप पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-200/वि० दिनांक-02.06.2022 द्वारा आरोप प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा, पटना के पत्रांक-936 दिनांक-19.09.2022 द्वार श्रीमती कुमारी का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। जिला पदाधिकारी,

भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत मामला गंभीर प्रकृति के होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-1639162 दिनांक-16.03.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है । संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा, पटना के पत्रांक-194 दिनांक- 03.02.2024 द्वारा श्रीमती कुमारी का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त है।

संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी के द्वारा अपने पत्रांक-93 दिनांक-28.02.2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में काउन्सलिंग के समय जो त्रुटि हुई उसके आधार पर न तो शिक्षकों का चयन किया गया और न ही नियुक्ति पत्र दिया गया । साथ ही पुन: काउन्सलिंग कराकर नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण करा लिया गया। अतएव श्रीमती चन्दा कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार (भोजपुर) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा (पटना) को भविष्य में सचेत रहकर कार्य करने का निदेश दिया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्रीमती चन्दा कुमारी की चारित्री पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भानु प्रकाश, अपर सचिव।

———————

24 जून 2024

सं0 ग्रा0वि0-14(को०)सहरसा-03/2020 (COM No-245371)—2929474——श्री चन्द्रमोहन पासवान, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्टा, सहरसा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, नानपुर (सीतामढ़ी) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभुतिपुर (समस्तीपुर) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-21-1 दिनांक-25.04.2020 द्वारा वर्ष 2014-15 में शिक्षक नियोजन में अनियमितता के आरोप एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-1037 दिनांक-31.05.2020 द्वारा मो० नईमुद्दीन, पिता- मोहम्मद जहीर आलम, ग्राम- शरीफपुर, प्रखंड एवं थाना- नानपुर, जिला- सीतामढ़ी द्वारा परिवाद की अनन्य संख्या-504431801408190055O में दिनांक-05.10.2019 को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पुपरी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट रहने के आरोप पर आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री चन्द्रमोहन पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-1600123 दिनांक-27.02.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर विभागीय अधिसूचना संख्या-2557066 दिनांक-12.02.2024 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री पासवान के द्वारा दिनांक-02.04.2024 को पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया । विभाग द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री पासवान के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में प्रतिवेदित आरोप के संबंध में न तो कोई नया तथ्य अंकित किया गया है और न ही कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि पूर्व में पारित आदेश को संशोधित किया जाय ।

अत: समीक्षोपरांत श्री चन्द्रमोहन पासवान के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भानु प्रकाश, अपर सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

——————

अधिसूचना

24 जून 2024

सं0 1/प्रो.1–01/2023–**825**——श्री सुधीर कुमार यादव, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, भागलपुर संग्रहालय, भागलपुर के रिक्त पद का प्रभार कार्य हित में अगले आदेश तक सौंपा जाता है।

2. पूर्व के आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
रूबी, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

———————

No. 619––I, Sunil Kumar. S/o Mohan Prasad R/o Ward No.-08, Chak mahila Sitamarhi, Bihar-843302 do hereby solemnly affirm and declare as per Affidavit No.-691 dated 07.05.24 that my name is written in my son Urwaj Kumar's CBSE 10th.all documents as Sunil Kumar Singh which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Sunil Kumar from now I will be known as Sunil Kumar for all future and legal purposes.

Sunil Kumar.

———————

सं0 620––मैं दीपक कुमार तिवारी, पिता दामोदर तिवारी, साकिन-मथुरापुर, पो.-नवादा बेन, थाना-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर, बिहार का स्थायी निवासी हूं। शपथ पत्र सं.-746/ 12.03.2024 के अनुसार मेरा नाम दीपक कुमार तिवारी से दीपक तिवारी (Deepak Tiwari) हो गया है, जो मेरे पैन व आधार कार्ड में भी है। अब मैं हर जगह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दीपक तिवारी के नाम से ही जाना जाऊंगा ।

दीपक कुमार तिवारी।

———————

No. 624––I, Rashmi Ranjan, Father's Name Bhushan Kumar, Mother's Name Rekha Sinha, R/O Village – Gonpura, P.O – Alampur Gonpura, Phulwarisharif, Patna, Pin – 801505 hereby declare that with the name of mine my father's and mother's name has been added i.e. Rashmi Ranjan Bhushan Kumar Rekha/Ranjan Rashmi Bhushan Rekha in all my Bar Council/BLS-LLB marksheet & Certificate and the actual name of mine is Rashmi Ranjan. Name in above documents will be amended accordingly. Affidavit No. –1194/02.05.2024.

Rashmi Ranjan.

———————

सं0 625––मैं शैल, पिता–रामकिशन गुप्ता, निवासी–हाउस नं0–75ए, वार्ड नं0–13, कानूगो मोहल्ला, पो0+थाना–झज्जर, हरियाणा, वर्तमान मे–रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी, रेलवे कोर्ट, आरा (भोजपुर), पिन–802301, शपथ पत्र संख्या–1199, दिनांक–03.04.2024 द्वारा घोषणा करती हूं कि आज के बाद से मुझे डॉक्टर शैल के नाम से जाना/पहचाना जाएगा।

शैल।

No. 625––I, Shell D/o Ramkishan Gupta, R/o House No.-75A, Ward No.- 13. Kannogo Mohalla, P.O.+ P.S.-Jhajjar, Haryana, Present Address-Flat No. 3C. Third Floor, Brijbhumi Apartment, K.G. Road, P.S.-Nawada, District-Ara (Bhojpur), Presently at- Railway Judicial Magistrate, Railway Court, Ara (Bhojpur), Pin-802301 affidavit No.-1199, dated 03.04.24 do hereby declare that after pursuing Ph.D. now onwards I shall be known as Dr. Shell.

Shell.

———————

सं0 626––मैं बंदना कुमारी पति स्व0 राजन सिन्हा, पता–छोटा बरियारपुर, थाना छतौनी जिला–पूर्वी चम्पारण। सूचित करती हूं कि बन्दना सिन्हा एवं बन्दना कुमारी दोनो एक ही व्यक्ति का नाम है अब मै सिर्फ बन्दना कुमारी के नाम से जानी जाउंगी। शपथ सं0 6573, दिनांक 6.10.23.

बंदना कुमारी।

No. 628––I, Md. Nizamuddin S/o Md. Khalil Rio Sabal Bigha, Thana Barachatti. Distt.-Gaya, Bihar 824201 do hereby solemnly. affirm and declare as per affidavit No. 2650 dated 28.05.2024 that my name is written in my son Md. Ekhlaque Ansari's CBSE 10th all documents as Md Naizamuddin which is wrong As per Aadhar Card my correct name is Md. Nizamuddin and from now I will be known as Md. Nizamuddin for all future and legal purposes.

Md. Nizamuddin.

————

No. 629––I, Alok Ranjan S/o Rajendra Prasad Sharma, R/o Vivekanand Colony Tikari, Gaya, Bihar- 824236 do hereby solemnly affirm and declare as per Affidavit No. 692 dated 07.05.24 that my name is written in my all educational documents Pan Card and Aadhar Card as Alok Ranjan. After doctorate I will be known as Dr. Alok Ranjan for all future and legal purposes.

Alok Ranjan.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in